

	<p>(2) द्वीप परिषद अपने क्षेत्राधिकार के भीतर क्षेत्रों में अन्य कार्य अथवा उपाय करेगा, जिससे क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों को रक्षण्य, सुरक्षा, शिक्षा, सुविधा, सामाजिक अथवा आर्थिक खुशहाली मिले और यह इनके अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा। विशेषतौर पर</p> <p>(क) किसी सड़क को चौड़ा करने, बढ़ाना, जैसे कार्य और इस प्रकार की सड़कें, पुल अथवा पुलिया तथा संयंत्र का मरम्मत कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त इन सड़कों के किनारे रिथत वृक्षों का संरक्षण करेगा।</p> <p>(ख) धारा 77 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में उल्लिखित किसी जल स्रोत तथा अन्य सम्पत्ति को गहरा करना अथवा सुधार करना।</p> <p>(ग) ऐसे सड़क अथवा गली पर रिथत किसी वृक्ष के डाली या शाखा को काटना।</p> <p>(3) द्वीप परिषद के पास उनके क्षेत्राधिकार में रिथत सभी सड़कों, गलियों, जलमार्ग, पुलों तथा पुलियों पर नियंत्रण होगा, जो निजी सम्पत्ति न हो या सरकार के नियंत्रणाधीन तत्समय के लिए सम्पत्ति न हो और यह इनके सुधार, अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा और विशेषतौर पर,</p> <p>(क) यह नई सड़कों तथा गलियों का नक्शा बनाएगा, तथा;</p> <p>(ख) नए पुलों और पुलियों का निर्माण करेगा।</p>	
	<p>72. प्रशासक, द्वीप परिषद को किसी कार्य का निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत कार्य अथवा सरकार या रथानीय प्राधिकारी की ओर से किसी संस्थान के प्रबंधन का कार्य सौंपेगा।</p> <p>बशर्ते कि निष्पादन या मरम्मत कार्य के लिए अथवा द्वीप परिषद को सौंपे संस्थान प्रबंधन के कार्य के लिए आवश्यक निधि को प्रशासक या ऐसे रथानीय प्राधिकारी द्वारा द्वीप परिषद को दिया जाएगा।</p>	द्वीप परिषद को किसी कार्य अथवा संस्थान का हस्तांतरण
	<p>73. द्वीप परिषद द्वारा किए गए प्रत्येक अनुबंध अथवा करार लिखित रूप में होंगे और इसमें चीफ कॉर्टन, कार्यपालक अधिकारी तथा द्वीप परिषद के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे द्वीप परिषद के एक समान मुहर से मुहरबंद किया जाएगा।</p>	अनुबंध का निष्पादन
	<p>74. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद की रकम क्रेडिट करने के लिए या द्वीप परिषद की ओर से या ऐसे रकम को वहाँ से आहरित करने के लिए एक द्वीप परिषद निधि होगा।</p>	द्वीप परिषद निधि